

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख  
हुकम

२३/०६/२२

पत्रावली आज प्रकाशन गांव के तंग तल्लिवा  
 २०२१. फॉलोअप सिविल आर आरि प्रदालय  
 पीपलली पेरा हुये तदपीलय डिप्टर  
 आफ्त। शामिल पत्रावली की गरी।  
 कोने पक्षों को मजमे काम सुका  
 गफा एवं मजमे काम जाक करी ली गरी।  
 कोदेश कलक के जिकार जाण सुले  
 म्दायावय मजमे काम सुकाण गफा।  
 पत्रावली विषय सुका होकर टारकेल  
 स्फर डी।

  
 उपखण्ड अधिकारी, मन्सालाना  


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 39/2022

प्रार्थी

1. ग्राम पंचायत बांटा पंचायत समिति गुडामालानी जरिये सरपंच

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम भूमि तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल बांटा के राजस्व ग्राम बांटा के खेत खसरा नम्बर 304/1 रकबा 4-00 बीघा गे.मु. श्मशान का आया हुआ है। पूर्व में गे.मु. गोचर भूमि खसरा नम्बर 304 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गे.मु. श्मशान भूमि आवंटन करवाई जिसके नवीन खसरा नम्बर 304/1 रकबा 4-00 बीसस किरूम गे.मु. श्मशान दर्ज हुए, मुताबिक आवंटन आदेश राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का रकबा तो सही दर्ज किया गया, परन्तु सम्बन्धित पटवारी ने सैकड़ों वर्ष पुराना श्मशान घाट स्थल से हट कर आवंटन आदेशानुसार राजस्व नक्शे में आवंटित भूमि की तरमीम गलत स्थान पर कर दी गई, इस प्रकार आवंटित स्थल व श्मशान घाट स्थल से अन्यत्र स्थल पर की गई अशुद्ध तरमीम को दुरुस्त करने हेतु उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 फॉलोअप शिविर भू.अ.निरीक्षक मुख्यालय पीपराली पेश हुई। प्रार्थी मजमेआम उपस्थित हुए तथा प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त करने का निवेदन किया। विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुडामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 911 दिनांक 30.05.2022 प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि आवंटन आदेश क्रमांक 12187 दिनांक 16.12.92 की पालना में आवंटन आदेश द्वारा

9/11